न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 31 / 2022

बउनवान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

श्री इन्द्रप्रकाश सुमन (डीलर) ग्राम पंचायत मेलखेड़ी, पंचायत समिति बारां, तहसील बारां, जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :– 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक (प्रार्थी)
2. स्वंय (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 12.04.2024

1– प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, मेलखेड़ी, पंचायत समिति, बारां पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 क्विंटल 95 किलो 300 ग्राम गेंहू का गबन किये जाने पर राशि 12223 / – रूपये वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र I प्रस्तुत करने पर दिनांक 19.12.2008 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3– अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी ने लिखित जवाब पेश नहीं किया। तत्पश्चात नियत तिथि पर अप्रार्थी अनुपस्थित रहने पर पत्रावली एकपक्षीय बहस वकील प्रार्थी हेतु नियत की गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वंय उपस्थित रहे। हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

4– दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय पोषा[illegible] कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये विशेष अंकेक्षण में 16 क्विं. 95 [illegible] पर प्रार्थी के स्तर से कई बार नोटिस जारी किये [illegible] के उपरांत [illegible] द्वारा राशि 1222[illegible] रूपये जमा नहीं करवाने पर प्रकरण [illegible] अतः प्रार्थी का प्रार्थना[illegible]कार किया जाकर, अप्रार्थी के विरूद्व उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:05:15 IST
Reason: SelfAttested

5— दौराने बहस अप्रार्थी स्वंय ने कथन किया कि प्रार्थी गरीब आदमी है तथा विशेष अंकेक्षण में आक्षेपित मूल राशि किश्तों में जमा कराने हेतु तत्पर है। अतः ब्याज माफ किया जाकर आक्षेपित राशि किश्तों में जमा कराये जाने के आदेश फरमावें।

6— हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पंचायत समितियों में संचालित राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम की नवम्बर 1995 से नवम्बर 1997 की अवधि की विशेष अंकेक्षण दल द्वारा की गई जांच में हेण्डलिंग एजेन्टों द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति रसीदों से अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत पोषाहार कूपनों के आधार पर प्राप्त किये गये गेंहू की मात्रा में से समायोजन पश्चात शेष गेंहू की मात्रा के आधार पर वसूली योग्य राशि 12223/— रूपये निकाली गई है।

8— अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी इन्द्रप्रकाश सुमन (डीलर) ग्राम पंचायत मेलखेड़ी, पंचायत समिति बारां, तहसील बारां, जिला—बारां (राज0) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 12223/—रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा—4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 12.04.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:05:15 IST
Reason: SelfAttested